रजिस्ट्री सं. डी. (डी एन)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY,

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 105] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 20, 1991/फाल्गुन 1, 1912
No. 105] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 20, 1991/PHALGUNA 1, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

IndiaCode

पर्यावरण और वन मंत्रालय

(पर्यावरण, वन तथा वन्यजीव विभाग)

तटीय क्षेत्रों को तटीय विनियम क्षेत्र घोषित करते हुए तथा तटीय विनियम क्षेत्र में गतिविधियों को विनियमित करते हुए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(2)(5) और धारा 3(1) और पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के नियम 5(3)(घ) के तहत अधिसूचना।

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 1991

का.आ. 114 (अ) :- जबकि तटीय क्षेत्रों की तटीय विनियम क्षेत्र (सी आर जेड) के रूप में घोषणा तथा सी आर जेड में उद्योगों, संचालनों और प्रक्रियाओं पर प्रतिबंध के विरुद्ध आपत्तियां आमंत्रित करते हुए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1936 की धारा 3(1) और धारा 3(2)(5) के तहत एक अधिसूचना का.आ.सं.-944 (ई) दिनांक 15 दिसम्बर, 1990 के अनुसार जारी की गई थी ;

और जबकि केन्द्रीय सरकार ने प्राप्त सभी आपत्तियों पर समुचित विचार किया है ;

अतः अब पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के नियम 5 के उप नियम (3) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उनकी ओर से प्राप्त अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार एतद्द्वारा समुद्रों, घाटियों, मुहानों, विवेणिकाओं, नदियों, और पश्चजलों के तटीय भागों, जो ज्वार रेखा से 500 मीटर तक स्थल की ओर ज्वारीय क्रिया से प्रभावित है तथा निम्न ज्वार रेखा और उच्च ज्वार रेखा के बीच की भूमि को तटीय विनियमन परिक्षेत्र के रूप में घोषित करती है और इस अधिसूचना की तारीख से उक्त तटीय विनियमन क्षेत्र में उद्योगों, संचालनों अथवा प्रक्रियाओं आदि की स्थापना और विस्तार पर निम्नलिखित प्रतिबंध लगाती है। इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ उच्च ज्वार रेखा को उस रेखा के रूप में परिभाषित किया जाएगा, जहां तक सर्वोच्च उच्च ज्वार, स्प्रिंग ज्वार तक पहुंचती है।

नोट : नदियों, खाड़ियों और पश्चजलों के मामले में प्रस्तावित विनियमन उच्च ज्वार रेखा से जितनी दूरी पर लागू होंगे, वह दूरी तटीय क्षेत्र प्रबन्ध योजनाएं (नीचे संदर्भित) तैयार करते समय रिकार्ड किए जाने वाले कारणों में हर मामले में संशोधित की जा सकती है लेकिन यह दूरी 100 मीटर नदियों के मामले में या खाड़ी अथवा पश्चजलों अथवा नदी की चौड़ाई, जो भी कम हो, से कम नहीं होगी।

2. प्रतिषिद्ध क्रिया-कलाप :- निम्नलिखित क्रियाकलाप तटीय विनियमन परिक्षेत्र के भीतर प्रतिषिद्ध किए जाते हैं, अर्थात् :-

(1) नये उद्योगों की स्थापना तथा मौजूदा उद्योगों का विस्तार, सीधे तटीय नगर भाग से संबंधित या सीधे तटीय सुविधाओं की आवश्यकता वाले उद्योगों को छोड़कर ;

(2) भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचनाओं सं. का.आ. 594 (अ) तारीख 28 जुलाई, 1989, का.आ. 966 (अ), तारीख 27 नवम्बर, 1989 और का.नि.आ. 1037 (अ), तारीख 5 दिसम्बर, 1989 की अधिसूचनाओं में विनिर्दिष्ट रूप में परिसंकटमय पदार्थों का विनिर्माण या हथालना या संग्रहण या व्ययन ;

(3) भांडारकरणों सहित मत्स्य संसाधन इकाइयों की स्थापना और विस्तार (अनुज्ञेय क्षेत्रों में हैचरी और प्राकृतिक मत्स्य शुष्कन को छोड़कर);

(4) अपशिष्टों और बहिस्स्रावों के व्ययन के लिए इकाइयों/कार्यविधियों की स्थापना और विस्तार, जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत स्वीकृति से जल मार्गों में शोधित बहिस्स्रावों के विसर्जन के लिए अपेक्षित सुविधाओं को छोड़कर ; तथा स्ट्रोम जल नालों के इकाइयों/कार्यविधियों को छोड़कर ;

(5) उद्योगों, नगरों या शहरों और अन्य मानव व्यवस्थापनों से असाधित अपशिष्ट और बहिस्स्रावों का निस्सारण । मौजूदा प्रथाओं, यदि हों, को समुचित समयावधि, जो इस अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी, के भीतर धीरे-धीरे समाप्त करने के लिए संबंधित प्राधिकरणों द्वारा स्कीमें कार्यान्वित की जाएंगी;

(6) भूमि भरने के प्रयोजन के लिए या अन्यथा नगर या शहर के अपशिष्ट को डम्प करना; मौजूदा प्रथा, यदि कोई हो, को इस अधिसूचना की तारीख से एक समुचित अवधि, जो तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी, के भीतर धीरे-धीरे समाप्त कर दिया जाएगा;

(7) तापीय विद्युत केन्द्रों से राख अथवा किसी अपशिष्ट का डम्प करना;

(8) भूमि प्रनरुद्धार समुद्र जल के प्राकृतिक क्रम को समरूप बाधाओं के साथ मेड़ लगाना या उसमें बाधा डालना, सिवाय उनके जो तटीय कटाव के नियंत्रण और जल मार्गों के अनुरक्षण तथा सफाई, चैनलों और पत्तनों तथा आसू-भित्तियों के लिए अपेक्षित हैं तथा सिवाय ज्वारीय नियंत्रकों, स्ट्रोम जल नालों और लवणता के प्रवेश की रोकथाम और मृदु जल पुनः प्रारम्भ के लिए संरचना ;

(9) बालू-वाट्टानों और अवस्तर सामग्री का खनन; उन दुर्लभ खनिजों को छोड़कर जो सी.आर.. जैड क्षेत्रों के बाहर उपलब्ध नहीं है;

(10) उच्च ज्वार रेखा से 200 मीटर के भीतर, 200+5000 मीटर टन में मत्स्य संग्रहण या भू-जल का निकालना तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए उसका संनिर्माण या यांत्रिकी की अनुमति केवल तब दी जाएगी, जब पेयजल बागवानी, कृषि और मत्स्य पालन के लिए सामान्य कुंओं के जरिए हाथ से किया गया हो;

(11) इस अधिसूचना के अनुबन्ध-1 में विनिर्दिष्ट रूप में पारिस्थितिकीय से संवेदनशील क्षेत्रों में संनिर्माण क्रियाकलाप;

(12) निम्न ज्वार रेखा और उच्च ज्वार रेखा के बीच कोई संनिर्माण क्रियाकलाप, सिवाय शोधित बहिस्स्रावों, अपशिष्टों और मलजल को समुद्र में ले जाने वाली सुविधाओं, शीतन प्रयोजन के लिए समुद्र जल, तेल, गैस और इसी प्रकार की अन्य पाइप लाइनों को ले जाने की सुविधा और इस अधिसूचना के तहत अनुज्ञेय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य सुविधा; और

(13) बालू टिब्बा, पहाड़ों प्राकृतिक विशेषताओं की सजावट अथवा उनमें परिवर्तन करना, जिसके अंतर्गत सुन्दर बनाने, मनोरंजन संबंधी और अन्य प्रयोजनों के लिए भू-दृश्य परिवर्तन भी है, इस अधिसूचना के तहत अनुज्ञेय चीजों को छोड़कर ।

3. अनुज्ञेय क्रियाकलापों का विनियमन : अन्य सभी क्रियाकलाप, उनके सिवाय जो ऊपर पैरा-2 में प्रतिषिद्ध हैं, निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे :-

(1) तटीय विनियमन क्षेत्र के भीतर किसी क्रियाकलाप के लिए तभी स्वीकृति दी जाएगी, जब तटीय नगर भाग अथवा तटाग्र सुविधाएं अपेक्षित हों ।

(2) निम्नलिखित क्रियाकलापों के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार की पर्यावरणीय स्वीकृति अपेक्षित होगी, नामतः-

(1) प्रतिरक्षा अपेक्षाओं संबंधी ऐसे निर्माण क्रियाकलाप, जिनके लिए तटाग्र सुविधाएं अनिवार्य हैं (उदाहरणार्थ जलावतरण, जैसी आदि); सिवाय प्रतिरक्षा परियोजनाओं के वर्गीकृत संचालन उपकरण, जिनके लिए पृथक प्रणाली का अनुसरण किया जाएगा । (आवासीय भवन, कार्यालय भवन, अस्पताल परिसर, कार्यशालाएं, संचलनात्मक अपेक्षाओं की परिभाषा में नहीं आएंगी , अति विशेष मामलों को छोड़कर, और इसलिए सी.आर. जेड. में आमतौर पर इनकी अनुमति नहीं दी जाएगी);

(2) बन्दरगाह और पत्तन तथा लाइट हाउस, जिनके लिए तटीय नगर भाग आवश्यक है, के संचालनात्मक निर्माण; जैटिया, वार्फ, जहाजी घाट, सिलपवे आदि; आवासीय भवन और कार्यालय भवन, अति विशिष्ट मामलों को छोड़कर संचालनात्मक क्रियाकलाप की परियोजना में नहीं आयेंगे और इसलिए इनकी सामान्यतः सी.आर.जेड. में अनुमति नहीं दी जाती है ;

(3) ताप विद्युत संयंत्र (केवल कच्चे माल के परिवहन के लिए तटाग्र सुविधाएं, वाटर कूलिंग के इन-टेक की सुविधाये तथा शोधित अपशिष्ट जल/कूलिंग वाटर के निपटान के लिए सुझाना; तथा

(4) 5 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली सभी अन्य गतिविधियां ।

(3) (1) तटीय राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासन इस अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष के भीतर अपने क्षेत्रों में तटीय क्षेत्र प्रबन्ध योजनायें तैयार करेंगे और अधिसूचना के अनुबंध-1 और 2 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुसार सी आर जेड क्षेत्रों का अभिनिर्धारण और वर्गीकरण करेंगे तथा केन्द्र सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त करेंगे (संसाधनों सहित अथवा इनके बिना);

(2) ऐसी अनुमोदित योजनाओं की रूपरेखा के भीतर ऊपर पैरा-2 और पैरा 3(2) में शामिल गतिविधियों के अतिरिक्त सी. आर.. जेड. के भीतर सभी विकास कार्य और गतिविधियां अधिसूचना के अनुबंध-1 और 2 में दिए गए मार्गनिर्देशों के अनुसार राज्य सरकार, केन्द्र शासित प्रदेश अथवा स्थानीय प्राधिकरण यथास्थिति द्वारा विनियमित की जायेंगी, अन्यथा

(3) उक्त पैरा 3(3)(1) में उल्लिखित तटीय क्षेत्र प्रबन्ध योजनाएं तैयार और स्वीकृत होने तक अन्तरिम अवधि में, सी.आर.जेड. के भीतर सभी विकास कार्य और गतिविधियां इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन नहीं किया जाएगा । राज्य सरकारें और केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन इन विनियमों के पालन को सुनिश्चित करेंगे और यदि किसी प्रकार का उल्लंघन होता है तो

IndiaCode

उसके लिए पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के उपबंधों के तहत कार्रवाई की जायेगी ।

(4) मानीटर करने और प्रदर्शन के लिए प्रक्रिया पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा राज्य संघ शासित सरकारों और राज्य संघ क्षेत्र स्तरों पर ऐसे अन्य प्राधिकरण, जो इस प्रयोजन के लिए पदनामित किए गए हैं, वे अपनी सीमाओं के भीतर इस अधिसूचना के उपबंधों को मानीटर करने और उनके प्रवर्तन के लिए उत्तरदायी होंगे ।

[सं. के-15019/1/84-आई.ए.-3 (वाल्यूम-2)]

र. राजामणि, सचिव

अनुबंध—I

तटीय क्षेत्र वर्गीकरण और विकास नियमन

तटवर्ती नियमन क्षेत्र का वर्गीकरण

6(1) विकास गतिविधियों के विनियमन के लिए भूमि की ओर उच्च ज्वार रेखा के 500 मीटर के भीतर के तटवर्ती भागों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात् :—

श्रेणी-1 (सी आर जेड)

(i) राष्ट्रीय उद्यानों, मैरीन पार्कों, अभयारण्यों, आरक्षित वनों, अन्यजीव वासस्थलों, कच्छ वनस्पति, मूंगा (प्रवालभित्तियों) मछली और अन्य समुद्री जीवों के प्रजनन क्षेत्र और अंडे देने वाली भूमि प्राकृतिक सुन्दर ऐतिहासिक विरासत वाले अनुवंशिक विभिन्नता से सम्पन्न क्षेत्र, पृथ्वी का तापमान बढ़ जाने के फलस्वरूप समुद्र के स्तर में वृद्धि के कारण डूब जाने वाले पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील और महत्वपूर्ण क्षेत्र तथा केन्द्र सरकार या राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश स्तर पर संबंधित प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर अधिसूचित इस प्रकार के अन्य क्षेत्र ।

(ii) निम्न ज्वारीय रेखा और उच्च ज्वारीय रेखा के बीच वाला क्षेत्र श्रेणी-2 (सी आर जेड-2)

समुद्री किनारों पर उनके नजदीक तक पहले से ही विकसित क्षेत्र इस प्रयोजन के लिए "विकसित क्षेत्र का आशय नगरीय सीमाओं के अन्दर अथवा कानूनी तौर पर विनिर्दिष्ट अन्य शहरी क्षेत्रों में उस क्षेत्र से है, जहां पहले ही काफी निर्माण हो चुका है और जहां जलनिकासी और पहुंच-मार्ग तथा जल आपूर्ति और मुख्य मलजल निकम जैसी अन्य आधारभूत सुविधाएं मुहैया कराई गई है ।

श्रेणी-3 (सी आर जेड-3)

वे क्षेत्र जो अपेक्षाकृत शांत क्षेत्र हैं और श्रेणी 1 और 2 के अन्तर्गत नहीं आते हैं । इनमें ग्रामीण क्षेत्रों में तटीय क्षेत्र (विकसित और अविकसित) और नगरीय सीमाओं के भीतर या कानूनी तौर पर अभिनिर्धारित अन्य शहरी क्षेत्रों के क्षेत्र आएंगें, जहां पर्याप्त विकास नहीं हुआ है ।

श्रेणी-4 (सी आर जेड-4)

सी आर जेड-1, सी आर जेड-2 और सी आर जेड-3 में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को छोड़कर अण्डमान और निकोबार, लक्षद्वीप तथा छोटे द्वीप तटीय भाग ।

गतिविधियों के नियमन के लिए मानदण्ड

6(2) तटीय भागों की विभिन्न श्रेणियों में विकास या निर्माण गतिविधियों को निम्नलिखित मापदण्डों के अनुसार राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र स्तर पर संबंधित प्राधिकारियों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा ।

सी आर जेड-1

उच्च ज्वार रेखा के 500 मीटर के भीतर अन्य किसी नए निर्माण की अनुमति नहीं है । 2(XII) के तहत सूचीबद्ध गतिविधियों को छोड़कर निम्न ज्वरीय रेखा और उच्च ज्वरीय रेखा के बीच किसी भी गतिविधि के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

सी आर जेड-2

(1) न तो वर्तमान सड़क (या क्षेत्र के स्वीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंध योजना/मास्टर प्लान में प्रस्तावित सड़कों) से समुद्र की ओर और न ही वर्तमान प्राधिकृत निर्माणों से समुद्र की ओर भवन बनाने की अनुमति दी जाएगी । जहां वर्तमान और प्रस्तावित मार्गों/वर्तमान प्राधिकृत निर्माणों से भूमि की ओर भवन निर्माण की अनुमति दी गई हो वहां एफ एस आई/एफ ए आर के लिए विद्यमान मापदण्डों सहित स्थानीय टाउन और कंट्री प्लानिंग विनियमों का पालन किया जाए ।

(2) विद्यमान एफ एस आई/एफ ए आर मापदण्डों का अनुपालन करने और विद्यमान प्रयोग में परिवर्तन किए बिना प्राधिकृत भवनों के पुनः निर्माण की अनुमति दी जाएगी ।

(3) भवनों का अभिकल्प और निर्माण स्थानीय वास्तुकला और प्राकृतिक दृश्यों के अनुरूप होना चाहिए ।

सी आर जेड-3

(1) उच्च ज्वार रेखा से 200 मीटर तक के क्षेत्र को "विकास क्षेत्र नहीं" माना जाता है और इस क्षेत्र के अन्दर किसी भी तरह के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी । लेकिन एफ एस आई वर्तमान प्लिन्थ एरिया और वर्तमान घनत्व के अन्दर आने वाले वर्तमान प्राधिकृत भवनों की मरम्मत की अनुमति होगी । फिर भी इस क्षेत्र में निम्नलिखित कार्य किए जा सकेंगे :—

कृषि, बागवानी, बगीचे, उद्यान, खुले के मैदान, चरागाहों, बानिकी और समुद्र जल से नमक बनाना ।

(2) अनुबंध-2 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों में निर्धारित क्षेत्रों के अधीन पर्यटकों/आगन्तुकों के लिए अस्थायी आवास के लिए आवास होटल/समुद्र किनारों पर सैरगाह के निर्माण के लिए उच्च ज्वार रेखा के 200 और 500 मीटर के बीच सी आर जेड-III से अभिनिर्धारित क्षेत्रों में पर्यावरण और वन मंत्रालय की पूर्वानुमति से खाली प्लाटों के विकास की अनुमति है ।

(3) उच्च ज्वार रेखा से 200 मीटर और 500 मीटर के बीच आवास इकाइयों के निर्माण/पुनर्निर्माण की अनुमति है बशर्ते कि यह वर्तमान मत्स्य ग्रामों और गौथान्य जैसे परम्परागत अधिकारों और प्रयोगों की परिधि में आता हो । इस प्रकार के निर्माण/पुनर्निर्माण की अनुमति इस शर्त पर दी जाएगी कि इस तरह के निर्माण की कुल संख्या वर्तमान इकाइयों की संख्या से दुगने से अधिक नहीं होगी; सभी तलों का आच्छादित क्षेत्र प्लाट के आकार के 33 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ; निर्माण की कुल ऊंचाई 9 मीटर से अधिक नहीं होगी तथा निर्माण दो मंजिल से अधिक नहीं होगा (भूतल और एक ऊपर मंजिल) ।

सी आर जेड-4

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह

(1) उच्च ज्वार रेखा के 200 मीटर के भीतर भवन निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

IndiaCode

(2) उच्च ज्वार सीमा से 200 तथा 500 मीटर के बीच स्थित भवन (दो तल) निचला तल और प्रथम तल) से अधिक ऊंचाई के नहीं होने चाहिए, कुल आच्छादित क्षेत्र भूमि के टुकड़े का 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए तथा निर्माण की कुल ऊंचाई 9 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(3) भवनों का निर्माण और डिजाइन स्थानीय वास्तुकला तथा इस स्थान के परिदृश्य से मेल खाना चाहिए ।

(4) तटों और तटीय जल की मूंगा चट्टानों तथा बालू को निर्माण या अन्य कार्यों के उपयोग में नहीं लाना चाहिए ।

(5) मूंगा चट्टानों में तथा उनके आस-पास तलमार्जन तथा जल के भीतर विस्फोट करने की अनुमति नहीं दी जाना चाहिए ; तथा

(6) तथापि कुछ द्वीपसमूहों में पर्यावरण और वन मंत्रालय की पूर्वानुमति से तटीय भागों को भी सी आर जेड-1 अथवा 2 अथवा 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है और इस प्रकार के नामित भागों में संबंधित श्रेणियों के लिए उपयुक्त विनियम लागू होंगे ।

लक्षद्वीप और छोटे द्वीपसमूह :

(1) वन निर्माण की अनुमति देने के लिए द्वीपसमूहों के आकार के अनुसार उच्च ज्वार सीमा की दूरी निश्चित करनी चाहिए इस का निर्धारण विशेषज्ञों के परामर्श व पर्यावरण और वन मंत्रालय की अनुमति से जल-विज्ञानीय पहलुओं, भूमि कटावों तथा पारिस्थितिकीय संवेदनशीलता सहित स्थानीय पारिस्थितियों की तुलना में विशिष्ट परियोजनाओं के लिए उपयोग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक द्वीप के लिए किया जाना चाहिए ;

(2) उच्च ज्वार रेखा के 500 मीटर के भीतर के भवन 2 तल (निचला तल तथा प्रथम तल) से अधिक ऊंचाई के नहीं होने चाहिए । कुल आच्छादित क्षेत्र भूमि के टुकड़े का 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए तथा निर्माण की कुल ऊंचाई 9 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

(3) भवनों का डिजाइन और निर्माण आसपास के भू-दृश्य तथा स्थानीय वास्तुकला के अनुरूप होना चाहिए ।

(4) तटों और तटीय जल की मूंगा चट्टानों तथा बालू को निर्माण कार्यों के उपयोग में नहीं लाना चाहिए ।

(5) मूंगा चट्टानों में तथा उनके आसपास तल-जलमार्जन तथा जल के भीतर विस्फोट करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

(6) तथापि, कुछ द्वीपसमूहों में पर्यावरण और वन मंत्रालय की पूर्वानुमति से तटीय भागों को भी सी. आर. जेड-1 अथवा 2 अथवा 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है । इस प्रकार के नामित भागों में संबंधित श्रेणियों के लिए उपयुक्त विनियम लागू होंगे ।

अनुबंध-II

पर्यटकों/दर्शकों के अस्थाई कब्जे के लिए सी आर जेड-3 के निर्दिष्ट/क्षेत्रों में पर्यावरण और वन मंत्रालय की पूर्वानुमति से समुद्र तट सैरगाहों/होटलों के विकास के लिए दिशा-निदेश

7(1) पर्यटकों/दर्शकों के अस्थाई कब्जे के लिए सी आर जेड-3 के निर्दिष्ट क्षेत्रों में पर्यावरण और वन मंत्रालय की पूर्वानुमति से समुद्रतट सैरगाहों/होटलों का निर्माण निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :—

(1) परियोजना प्रस्तावित उच्च ज्वार रेखा से 200 मीटर तक (भूमि की ओर) तथा निम्न ज्वार और उच्च ज्वार सीमा के बीच के क्षेत्र में कोई निर्माण कार्य (अस्थायी निर्माण और कटीली तार अथवा इस प्रकार के अन्य अवरोधकों सहित) नहीं करेंगे ।

(2) प्लाट का आकार 0.4 हेक्टेयर से कम नहीं होना चाहिए आच्छादित क्षेत्र प्लाट के आकार के 33% अर्थात् एफ एस आई 0.33 से अधिक नहीं होना चाहिए । खुले क्षेत्र में उपयुक्त हरियाली से सही तरीके से भू-दृश्य निर्माण किया जाना चाहिए ।

(3) निर्माण आसपास के भू-दृश्य तथा स्थानीय वास्तुकला के अनुरूप होना चाहिए ।

(4) भवन की कुल ऊंचाई 9 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए और भवन दो मंजिलों (भूमि तल और प्रथम तल) से अधिक ऊंचा नहीं होना चाहिए ।

(5) भूमि जल उच्च ज्वार रेखा से 200 मीटर के अन्दर से नहीं लिया जाएगा, 200-500 मीटर क्षेत्र के भीतर यह केवल केन्द्रीय/राज्य भूमि जल बोर्ड की सहमति से निकाला जा सकता है ।

(6) उच्च ज्वार रेखा के 500 मीटर के भीतर भवन, तरणताल तथा बेसमेंट के बुनियादी ढांचे के अलावा रेत निकालने, रेतीले भागों को समतल बनाने या खुदाई करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ।

(7) परियोजना क्षेत्र से शोधित बहिस्रावों, ठोस अपशिष्टों, उत्सर्जनों की क्वालिटी और शोर स्तर आदि सक्षम प्राधिकरणों, जिसमें केन्द्रीय/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड शामिल हैं तथा पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप होना चाहिए ।

(8) बहिस्रावों और ठोस अपशिष्टों के शोधन के लिए आवश्यक प्रबंध किए जाएं। यह सुनिश्चित किया जाए कि साफ न किए गए बहिस्रावों और ठोस अपशिष्टों को जल या समुद्री किनारों पर न बहाया जाए ।

(9) लोग समुद्री किनारों तक आ सकें, इसके लिए किन्हीं दो प्लाटों के बीच कम से कम 20 मीटर चौड़ी पट्टी मुहैया कराई जाए और यह अन्तर किसी भी हालत में 500 मीटर से कम नहीं होना चाहिए ;

(10) यदि परियोजना में वनेतर प्रयोजनों के लिए वन भूमि को उपयोग में लाया जाना हो तो इसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत मंजूरी लेने की आवश्यकता है । परियोजना के संबंध में लागू अन्य केन्द्रीय और राज्य कानूनों का अनुपालन किया जाना चाहिए : और

(11) राज्य/संघ शासित क्षेत्र के पर्यटन विभागों की अनुमति प्राप्त की जाएगी ।

7(2) पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्रों में (जैसे मेरीन पार्क, कच्छ वनस्पति, मूंगे की चट्टानें, मछलियों के प्रजनन और अण्डे देने की जगह तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य क्षेत्र (समुद्री सैरगाहों/होटलों के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

(Department of Environment, Forests & Wildlife)

NOTIFICATION UNDER SECTION 3(1) AND SECTION 3(2)(v) OF THE ENVIRONMENT (PROTECTION) ACT, 1986 AND RULE 5(3)(d) OF ENVIRONMENT (PROTECTION) RULES, 1986, DECLARING COASTAL STRETCHES AS COASTAL REGULATION ZONE (CRZ) AND REGULATING ACTIVITIES IN THE CRZ.

New Delhi, the 19th February, 1991

S.O. 114(E).—Whereas a Notification under Section 3(1) and Section 3(2)(v) of the Environment (Protection) Act, 1986, inviting objections against the declaration of Coastal Stretches as Coastal Regulation Zone (CRZ) and imposing restrictions on industries, operations and processes in the CRZ was published vide S.O. No. 944 (E) dated 15th December, 1990.

And whereas all objections received have been duly considered by the Central Government ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Clause (d) of sub-rule (3) of Rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, and all other powers vesting in its behalf, the Central Government hereby declares the coastal stretches of seas, bays, estuaries, creeks, rivers and backwaters which are influenced by tidal action (in the landward side) upto 500 metres from the High Tide Line (HTL) and the land between the Low Tide Line (LTL) and the HTL as Coastal Regulation Zone; and imposes with effect from the date of this Notification, the following restrictions on the setting up and expansion of industries, operations or processes etc. in the said Coastal Regulation Zone (CRZ). For purposes of this Notification, the High Tide Line (HTL) will be defined as the line upto which the highest high tide reaches at spring tides.

Note.—The distance from the High Tide Line (HTL) to which the proposed regulations will apply in the case of rivers, creeks and backwaters may be modified on a case by case basis for reasons to be recorded while preparing the Coastal Zone Management Plans (referred to below) ; however, this distance shall not be less than 100 metres or the width of the creek, river or backwater whichever is less.

2. Prohibited Activities :

The following activities are declared as prohibited within the Coastal Regulation Zone, namely :

(i) setting up of new industries and expansion of existing industries, except those directly related to water front or directly needing foreshore facilities ;

(ii) manufacture or handling or storage or disposal of hazardous substances as specified in the Notifications of the Government of India in the Ministry of Environment & Forests No. S.O. 594(E) dated 28th July, 1989, S.O. 966(E) dated 27th November, 1989 and GSR 1037(E) dated 5th December, 1989 ;

(iii) Setting up and expansion of fish processing units including warehousing (excluding hatchery and natural fish drying in permitted areas) ;

(iv) setting up and expansion of units/mechanisms for disposal of wastes and effluents, except facilities required for discharging treated effluents into the water course with approval under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 ; and except for storm water drains ;

(v) discharge of untreated wastes and effluents from industries, cities or towns and other human settlements. Schemes shall be implemented by the concerned authorities for phasing out the existing practices, if any, within a reasonable time period not exceeding three years from the date of this notification ;

(vi) dumping of city or town waste for the purposes of landfilling or otherwise ; the existing practice, if any, shall be phased out within a reasonable time not exceeding three years from the date of this Notification ;

(vii) dumping of ash or any wastes from thermal power stations ;

(viii) land reclamation, bunding or disturbing the natural course of sea water with similar obstructions, except those required for control of coastal erosion and maintenance or cleasing of waterways, channels and ports and for prevention of sandbars and also except for tidal regulators, storm water drains and structures for prevention of salinity ingress and for sweet water recharge ;

(ix) mining of sands, rocks and other substrata materials, except those rare minerals not available outside the CRZ areas ;

(x) harvesting or drawal of ground water and construction of mechanisms therefor within 200 m of HTL ; in the 200 m to 500 m zone it shall be permitted only when done manually through ordinary wells for drinking, horticulture, agriculture and fisheries ;

(xi) construction activities in ecologically sensitive areas as specified in Annexure-I of this Notification ;

(xii) any construction activity between the Low Tide Line and High Tide Line except facilities for carrying treated effluents and waste water discharges into the sea, facilities for carrying sea water for cooling purposes, oil, gas and similar pipelines and facilities essential for activities permitted under this Notification ; and

(xiii) dressing or altering of sand dunes, hills, natural features including landscape changes

for beautification, recreational and other such purposes, except as permissible under this Notification.

3. Regulation of Permissible Activities :

All other activities, except those prohibited in para 2 above, will be regulated as under :

(1) Clearance shall be given for any activity within the Coastal Regulation Zone only if it requires water front and foreshore facilities.

(2) The following activities will require environmental clearance from the Ministry of Environment & Forests, Government of India, namely :

(i) Construction activities related to Defence requirements for which foreshore facilities are essential (e.g. slipways, jetties etc.); except for classified operational component of defence projects for which a separate procedure shall be followed. (Residential buildings, office buildings, hospital complexes, workshops shall not come within the definition of operational requirements except in very special cases and hence shall not normally be permitted in the CRZ);

(ii) Operational constructions for ports and harbours and light houses requiring water frontage; jetties wharves, quays, slipways etc. (Residential buildings & office buildings shall not come within the definition of operational activities except in very special cases and hence shall not normally be permitted in the CRZ);

(iii) Thermal power plants (only foreshore facilities for transport of raw materials facilities for in-take of cooling water and outfall for discharge of treated waste water| cooling water); and

(iv) All other activities with investment exceeding rupees five crores.

(3) (i) The coastal States and Union Territory Administrations shall prepare, within a period of one year from the date of this Notification, Coastal Zone Management Plans identifying and classifying the CRZ areas within their respective territories in accordance with the guidelines given in Annexures-I and II of the Notification and obtain approval (with or without modifications) of the Central Government in the Ministry of Environment & Forests;

(ii) Within the framework of such approved plans, all development and activities within the CRZ other than those covered in para 2 and para 3(2) above shall be regulated by the State Government, Union Territory Administration or the local authority as the case may be in accordance with the guidelines given in Annexures-I and II of the Notification; and

(iii) In the interim period till the Coastal Zone Management Plans mentioned in para 3(3)(i) above are prepared and approved, all developments and activities within the CRZ shall not violate the provisions of this Notification. State Governments and Union Territory Administrations shall ensure adherence to these regulations and violations, if any, shall be subject to the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986.

4. Procedure for monitoring and enforcement :

The Ministry of Environment & Forests and the Government of State or Union Territory and such other authorities at the State or Union Territory levels, as may be designated for this purpose, shall be responsible for monitoring and enforcement of the provisions of this notification within their respective jurisdictions.

[N. K-15019|1|84-IA-III (Vol. II)]

R. RAJAMANI, Secy.

ANNEXURE-I

COASTAL AREA CLASSIFICATION AND DEVELOPMENT REGULATIONS

Classification of Coastal Regulation Zone :

6(1) For regulating development activities, the coastal stretches within 500 metres of High Tide Line of the landward side are classified into four categories, namely :

Category I (CRZ-T) :

(i) Areas that are ecologically sensitive and important, such as national parks|marine parks, sanctuaries, reserve forests, wildlife habitats, mangroves, corals|coral reefs, areas close to breeding and spawning grounds of fish and other marine life, areas of outstanding natural beauty|historical|heritage areas, areas rich in genetic diversity, areas likely to be inundated due to rise in sea level consequent upon global warming and such other areas as may be declared by the Central Government or the concerned authorities at the State|Union Territory level from time to time.

(ii) Area between the Low Tide Line and the High Tide Line.

Category-II (CRZ-II) :

The areas that have already been developed upto or close to the shore-line. For this purpose, "developed area" is referred to as that area within the municipal limits or in other legally designated urban areas which is already substantially built up and which has been provided with drainage and approach roads and other infrastructural facilities, such as water supply and sewerage mains.

Category-III (CRZ-III) :

Areas that are relatively undisturbed and those which do not belong to either Category-I or II. These

IndiaCode

will include coastal zone in the rural areas (developed and undeveloped) and also areas within Municipal limits or in other legally designated urban areas which are not substantially built up.

Category-IV (CRZ-IV)

Coastal stretches in the Andaman & Nicobar, Lakshadweep and small islands except those designated as CRZ-I, CRZ-II or CRZ-III.

Norms for Regulation of Activities.

6(2) The development or construction activities in different categories of CRZ areas shall be regulated by the concerned authorities at the State|Union Territory level, in accordance with the following norms :

CRZ-I

No new construction shall be permitted within 500 metres of the High Tide Line. No construction activity, except as listed under 2(xii), will be permitted between the Low Tide Line and the High Tide Line.

CRZ-II

(i) Buildings shall be permitted neither on the seaward side of the existing road (or roads proposed in the approved Coastal Zone Management Plan of the area) nor on seaward side of existing authorised structures. Buildings permitted on the landward side of the existing and proposed roads|existing authorised structures shall be subject to the existing local Town and Country Planning Regulations including the existing norms of FSI|FAR.

(ii) Reconstruction of the authorised buildings to be permitted subject with the existing FSI|FAR norms and without change in the existing use.

(iii) The design and construction of buildings shall be consistent with the surrounding landscape and local architectural style.

CRZ-III

(i) The area upto 200 metres from the High Tide Line is to be earmarked as 'No Development Zone'. No construction shall be permitted within this zone except for repairs of existing authorised structures not exceeding existing FSI, existing plinth area and existing density. However, the following uses may be permissible in this zone—agriculture, horticulture, gardens, pastures, parks, playfields, forestry and salt manufacture from sea water.

(ii) Development of vacant plots between 200 and 500 metres of High Tide Line in designated areas of CRZ-III with prior approval of MEF permitted for construction of hotels|beach resorts for temporary occupation of tourists|visitors subject to the conditions as stipulated in the guidelines at Annexure-II.

(iii) Construction|reconstruction of dwelling units between 200 and 500 metres of the High Tide Line permitted so long it is within the ambit of traditional rights and customary uses such as existing fishing villages and goathans. Building permission for such construction|reconstruction will be subject to the conditions that the total number of dwelling units shall not be more than twice the number of existing units ; total covered area on all floors shall not exceed 33 per cent of the plot size ; the overall height of construction shall not exceed 9 metres and construction shall not be more than 2 floors (ground floor plus one floor).

(iv) Reconstruction|alterations of an existing authorised building permitted subject to (i) to (iii) above.

CRZ-IV

Andaman & Nicobar Islands :

(i) No new construction of buildings shall be permitted within 200 metres of the HTL ;

(ii) The buildings between 200 and 500 metres from the High Tide Line shall not have more than 2 floors (ground floor and 1st floor), the total covered area on all floors shall not be more than 50 per cent of the plot size and the total height of construction shall not exceed 9 metres ;

(iii) The design and construction of buildings shall be consistent with the surrounding landscape and local architectural style.

(iv) Corals and sand from the beaches and coastal waters shall not be used for construction and other purposes :

(v) Dredging and underwater blasting in and around coral formations shall not be permitted; and

(vi) However, in some of the islands, coastal stretches may also be classified into categories CRZ-I or II or III, with the prior approval of Ministry of Environment and Forests and in such designated stretches, the appropriate regulations given for respective Categories shall apply.

Lakshadweep and small Islands :

(i) For permitting construction of buildings, the distance from the High Tide Line shall be decided depending on the size of the islands. This shall be laid down for each island, in consultation with the experts and with approval of the Ministry of Environment & Forests, keeping in view the land use requirements for specific purposes vis-a-vis local conditions including hydrological aspects erosion and ecological sensitivity;

(ii) The buildings within 500 metres from the HTL shall not have more than 2 floors (ground floor and 1st floor), the total covered area on all floors shall not be more than

50 per cent of the plot size and the total height of construction shall not exceed 9 metres;

(iii) The design and construction of buildings shall be consistent with the surrounding landscape and local architectural style.

(iv) Corals and sand from the beaches and coastal waters shall not be used for construction and other purposes;

(v) Dredging and underwater blasting in and around coral formations shall not be permitted; and

(vi) However, in some of the islands, coastal stretches may also be classified into categories CRZ-I or II or III, with the prior approval of Ministry of Environment & Forests and in such designated stretches, the appropriate regulations given for respective Categories shall apply.

Lakshadweep and small Islands :

(i) For permitting construction of buildings, the distance from the High Tide Line shall be decided depending on the size of the islands. This shall be laid down for each island, in consultation with the experts and with approval of the Ministry of Environment & Forsts, keeping in view the land use requirements for specific purposes vis-a-vis local conditions including hydrological aspects, erosion and ecological sensitivity;

(ii) The buildings within 500 metres from the HTL shall not have more than 2 floors (ground floor and 1st floor), the total covered area on all floors shall not be more than 50 per cent of the plot size and the total height of construction shall not exceed 9 metres;

(iii) The design and construction of buildings shall be consistent with the surrounding landscape and local architectural style.

(iv) Corals and sand from the beaches and coastal waters, shall not be used for construction and other purposes.

(v) Dredging and under water blasting in and around lagoons and coral formations shall not be permitted; and

(vi) However, in some of the Islands, coastal stretches may also be classified into categories CRZ-I or II or III with prior approval of the Ministry of Environment & Forests. In such designated stretches the appropriate regulations given for respective categories shall apply.

ANNEXURE-II

GUIDELINES FOR DEVELOPMENT OF BEACH RESORTS|HOTELS IN THE DESIGNATED AREAS OF CRZ-III FOR TEMPORARY OCCUPATION OF TOURIST|VISITORS, WITH PRIOR APPROVAL OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

7(1) Construction of beach resorts|hotels with prior approval of MEF in the designated areas of CRZ-III for temporary occupation of tourists| visitors shall be subject to the following conditions :

(i) The project proponents shall not undertake any construction (including temporary constructions and fencing or such other barriers) within 200 metres (in the landward side) from the High Tide Line and within the area between the Low Tide and High Tide Line;

(ii) The total plot size shall not be less than 0.4 hectares and the total covered area on all floors shall not exceed 33 per cent of the plot size i.e. the FSI shall not exceed 0.33. The open area shall be suitably landscaped with appropriate vegetal cover;

(iii) The construction shall be consistent with the surrounding landscape and local architectural style;

(iv) The overall height of construction upto the highest ridge of the roof, shall not exceed 9 metres and the construction shall not be more than 2 floors (ground floor plus one upper floor);

(v) Ground water shall not be tapped within 200 m of the HTL; within the 200 metre-500 metre zone it can be tapped only with the concurrence of the Central|State Ground Water Board;

(vi) Extraction of sand, levelling or digging of of sandy stretches except for structural foundation of building, swimming pool shall not

IndiaCode

be permitted within 500 metres of the High Tide Line;

(vii) The quality of treated effluents, solid wastes, emissions and noise levels etc. from the project area must conform to the standards laid down by the competent authorities including the Central|State Pollution Control Board and under the Environment (Protection) Act, 1986;

(viii) Necessary arrangements for the treatment of the effluents and solid wastes must be made. It must be ensured that the untreated effluents and solid wastes are not discharged into the water or on the beach; and no effluent|solid waste shall be discharged on the beach;

(ix) To allow public access to the beach, atleast a gap of 20 metres width shall be provided between any two hotels|beach resorts; and in no case shall gaps be less than 500 metres apart; and

(x) If the project involves diversion of forest land for non-forest purposes, clearance as required under the Forest (Conservation), Act, 1980 shall be obtained. The requirements of other Central and State laws as applicable to the project shall be met with.

(xi) Approval of the State|Union Territory Tourism Department shall be obtained.

7(2) In ecologically sensitive areas (such as marine parks, mangroves, coral reefs, breeding and spawning grounds of fish, wildlife habitats and such other areas as may be notified by the Central|State Government| Union Territories) construction of beach resorts|hotels shall not be permitted.

IndiaCode

452 GI/91—2

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990

IndiaCode